आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2008(2)

समक्ष हेमंत गुप्ता और मोहिंदर पाल माननीय न्यायमूर्ति

ओम प्रकाश -याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ और अन्य,- उत्तरदाताओं

C.W.P. नं. 2001 का 19531/सी।
18 जुलाई, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-परिपत्र, दिनांक 19 मार्च, 1976 रेलवे बोर्ड द्वारा जारी- टिकट कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए पैनल में नियुक्त करने का दावा करने वाले 12 वर्षों के लिए तदर्थ आधार पर काम करने वाले याचिकाकर्ता-लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले याचिकाकर्ता लेकिन वाइवा वॉयस टेस्ट में आवश्यक अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले-19 मार्च, 1976 के परिपत्र के खंड 2.2 में यह प्रावधान है कि जिस पद के लिए चयन किया गया है, उस पर काफी संतोषजनक रूप से तदर्थ आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों का पैनल बनाते समय, साक्षात्कार में अनुपयुक्त घोषित नहीं किया जाना चाहिए और विचार के क्षेत्र में पहुंचने वाले किसी भी कर्मचारी को उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए- याचिकाकर्ता को अनुपयुक्त घोषित करने या उसे इस हद तक श्रेणीबद्ध नहीं करने की प्रतिवादी की कार्रवाई जो उसे चयनित उम्मीदवारों की सूची में सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाती है, न्यायसंगत नहीं है-न्यायाधिकरण केवल चयन सूची में रैंकिंग के आधार पर राहत को अस्वीकार करने में न्यायसंगत नहीं है, जब परिपत्र में याचिकाकर्ता के दावे को पूरी तरह से शामिल किया गया है-याचिका की अनुमति दी गई है, न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया गया है, जबकि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को अनुपयुक्त घोषित करना या उसे इस हद तक श्रेणीबद्ध नहीं करना जो उसे चयनित उम्मीदवारों की सूची में सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाता है, उचित नहीं है। यह याचिकाकर्ता के लिए बहुत कठोर है, जिसने 1985 से पदोन्नत पद पर काम किया है, इस कारण से निचले पद पर वापस लाया जाना कि उसने मौखिक परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवार की सूची में ग्रेड नहीं बनाया है। रेलवे बोर्ड द्वारा 19

मार्च, 1976 के परिपत्र में उक्त पहलू पर ध्यान दिया गया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मंजूरी मिल गई है। अतः विद्वत अधिकरण उचित नहीं था केवल चयन सूची में उसकी श्रेणी के आधार पर याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करने में, जब रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र में याचिकाकर्ता के दावे को पूरी तरह से शामिल किया गया है।

(Paras 9 and 10)

पी. के. लोंगिया, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

जगदीश मारवाह, प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 तक।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता,

(1) वर्तमान रिट याचिका में चुनौती याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक मूल आवेदन में विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित 9 नवंबर, 2001 के आदेश को दी गई है।

(2) याचिकाकर्ता ने टिकट कलेक्टर के पद पर नियुक्ति का दावा करते हुए न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है। आरोप है कि वह 8 मार्च, 1985 से पिछले 12 वर्षों से तदर्थ आधार पर प्रथम श्रेणी के पद के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने लिखित के साथ-साथ वाइवा-वॉयस टेस्ट भी पास किया है, लेकिन टिकट कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए पैनल में नहीं रखा गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे टिकट कलेक्टर के रूप में चुना जाना चाहिए था और वह सभी बकाया और परिणामी लाभों का हकदार है।

(3) उत्तर में, यह दावा किया गया था कि वर्तमान याचिकाकर्ता का नाम सीरियल नं। वरिष्ठता सूची के 56, लेकिन क्रम संख्या तक के उम्मीदवार। 37 को पैनल में शामिल किया गया था और इसलिए, याचिकाकर्ता को बाद के चयन में नहीं चुना जा सका, हालांकि उसके अन्य सह-आवेदकों का चयन किया गया है। न्यायाधिकरण ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले के मूल आवेदन में उम्मीदवारों की वरिष्ठता सूची को रद्द नहीं किया गया था, जिसे 26 अप्रैल, 1996 को तय किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 1997-98 के दौरान हुए चयन को लेकर कोई चुनौती नहीं है। चुनौती के तहत चयन में, सीरियल नं। 37 का चयन किया गया। चूंकि याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या में आता है। 56, इसलिए, याचिकाकर्ता को नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि टिकट कलेक्टर के पद के खिलाफ याचिकाकर्ता के किसी भी व्यक्ति जूनियर को नियुक्त नहीं किया गया है।

(4) लिखित परीक्षा (अनुलग्नक P.2) के परिणाम में याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या में दिखाई देता है। 38. मौखिक परीक्षा के बाद परिणाम घोषित किया गया-अनुलग्नक पी. 3 के अनुसार 37 उम्मीदवारों को पैनल में शामिल किया गया। याचिकाकर्ता का नाम उक्त सूची में नहीं आता है। यह विवादित नहीं है कि अंतिम सूची लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई है और इसलिए लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर याचिकाकर्ता का नाम उपलब्ध पदों की संख्या में नहीं आता है।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि रेलवे बोर्ड ने दिनांक 19 मार्च, 1976 (अनुलग्नक पी. 4) को इस आशय का परिपत्र जारी किया है कि पैनल का गठन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो कर्मचारी तदर्थ आधार पर पद पर काम कर रहे हैं, वे साक्षात्कार में संतोषजनक रूप से नौकरी छोड़ दें, उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है। विचार के क्षेत्र में पहुंचने वाले किसी भी कर्मचारी को उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए। इस तरह के परिपत्र के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता 8 मार्च, 1985 से वर्ग-II पद के खिलाफ

तदर्थ आधार पर काम कर रहा है और उसका काम और आचरण संतोषजनक है। इसलिए, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले याचिकाकर्ता को कक्षा-III पद के खिलाफ पदोन्नत किया जाना आवश्यक है। यह भी तर्क दिया जाता है कि रेलवे बोर्ड के इस तरह के परिपत्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर. सी. श्रीवास्तव बनाम भारत सरकार और एक अन्य (एसएलपी (ओ) सं. 1993 का 9866) 3 नवंबर, 1995 को तय किया गया (Annexure P.5).

(6) अभिलेख से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता 8 मार्च, 1985 से तदर्थ आधार पर टिकट कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहा है। याचिकाकर्ता सफल उम्मीदवारों की सूची में 38वें स्थान पर है, जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि 37 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया गया है। यह केवल वाइवा-वॉस टेस्ट में था कि याचिकाकर्ता ने आवश्यक अंक प्राप्त नहीं किए हैं ताकि उसे सफल उम्मीदवारों की वरिष्ठता में रखा जा सके। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया परिपत्र याचिकाकर्ता के बचाव में आता है। प्रासंगिक खंड निम्नानुसार हैः-"2.2। तदर्थ पदोन्नति से बचने के लिए समय पर चयन पदों के लिए पैनल बनाए जाने चाहिए। पैनल बनाते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कौन से कर्मचारी काम कर रहे हैंतदर्थ आधार पर पदों को काफी संतोषजनक रूप से साक्षात्कार में अनुपयुक्त घोषित नहीं किया जाता है। विशेष रूप से विचार के क्षेत्र में पहुंचने वाले किसी भी कर्मचारी को उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए।

(7) उक्त परिपत्र पर विचार करते हुए, R.C. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। श्रीवास्तव के मामले (उपर्युक्त) में निम्नलिखित प्रभाव को रखा गया है "इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेलवे बोर्ड का एक परिपत्र वैधानिक नियम को ओवरराइड नहीं कर सकता है, लेकिन एक परिपत्र जो प्रशासनिक दिशा की प्रकृति में है, निश्चित रूप से उन मामलों पर नियमों का पूरक हो सकता है जिन पर नियम चुप हैं। 19 मार्च, 1976 के परिपत्र से पता चलेगा कि यह किसी भी वैधानिक नियम के विपरीत नहीं है। वास्तव में उक्त परिपत्र साक्षात्कार के स्तर पर उपयुक्तता पर विचार करते हुए चयन समिति द्वारा शक्ति के प्रयोग के मामले में केवल मार्गदर्शन देता है और कहता है कि एक व्यक्ति जो उस पद पर काम कर रहा है जिसके लिए चयन तदर्थ आधार पर किया जा रहा है और जिसका काम काफी संतोषजनक है, उसे साक्षात्कार में अनुपयुक्त घोषित नहीं किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि यह निर्देश वैधानिक नियम के साथ असंगत है। हम हैं। इसलिए, यह अभिनिर्धारित करने में असमर्थ है कि 19 मार्च, 1976 के परिपत्र में उक्त निर्देश किसी वैधानिक नियम के अनुरूप नहीं है।

(8) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त परिपत्र किसी सांविधिक नियम के साथ असंगत नहीं पाया गया है। इसलिए, एक उम्मीदवार, जो उस पद पर काम कर रहा है जिसके लिए चयन किया जा रहा है और जिसका काम काफी संतोषजनक है, उसे साक्षात्कार में अनुपयुक्त नहीं माना जाना चाहिए।

(9) उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता को अनुपयुक्त घोषित करना या उसे इस हद तक श्रेणीबद्ध नहीं करना जो उसे चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल करने में सक्षम बनाता है, उचित नहीं है। यह याचिकाकर्ता के लिए बहुत कठोर है, जिसने 1985 से पदोन्नत पद पर काम किया है, इस कारण से निचले पद पर वापस लाया जाना कि उसने वाइवा-वॉस टेस्ट के आधार पर चयनित उम्मीदवार की सूची में ग्रेड नहीं बनाया है। उक्त पहलू है रेलवे बोर्ड द्वारा उपरोक्त परिपत्र में ध्यान दिया गया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मंजूरी मिल गई है।

(10) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि विद्वत अधिकरण ने केवल चयन सूची में उसकी श्रेणी के आधार पर याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करना उचित नहीं था, जबकि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र में याचिकाकर्ता के दावे को पूरी तरह से शामिल किया गया है।

(11) नतीजतन, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को वरिष्ठता के संबंध में सभी परिणामी लाभ प्रदान करें और उसी लिखित परीक्षा के अनुसरण में अन्य सभी उम्मीदवारों को उस तारीख से वेतन निर्धारण दें, जिसमें याचिकाकर्ता ने अर्हता प्राप्त की थी। आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक राहत दी जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं कि या जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा